



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 123] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 139(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) अधीक्षक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम 2010, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (अधीक्षक) भर्ती नियम, 2019 है।
(2.) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन मान.**—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति और आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति
(a) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(b) जिसने, अपनी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय- सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक	41* (2019)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 08 (रुपये 47600-151100)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि , यदि कोई हो तो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, चाहे यह सीधी- भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलय द्वारा की गयी हो, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी गई रिक्तियों कि प्रतिशतता	जिस ग्रेड से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलय द्वारा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलय किया जाना है	यदि एक विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स 07 (रुपये 44900-142400) में ऐसा आसूचना अधिकारी जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है तथा स्वापक नियंत्रण	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) में निम्न सम्मिलित होंगे : (1) उप महानिदेशक (मुख्यालय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (2) उप निदेशक (प्रचालन), स्वापक	अनिवार्य नहीं

	<p>ब्यूरो अथवा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किसी अन्य संस्थान द्वारा तैयार अथवा प्रदान किया गया तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>नियंत्रण ब्यूरो (3) उप सचिव (सुरक्षा) अथवा निदेशक (सुरक्षा) आंतरिक सुरक्षा-II खंड, गृह मंत्रालय</p> <p>-सदस्य -सदस्य</p>	
--	--	--	--

[फा. सं. I-12014/52/2017-एन.सी.बी.-II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Narcotics Control Bureau)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Narcotics Control Bureau), Superintendent Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Superintendent) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent.	41* (2019)* Subject to variation dependent on the workload.	General Central Services, Group- 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-08. (Rs.47600-151100)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion.	Promotion: Intelligence Officers with two years regular service in the level 7	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :	Consultation with Union Public Service Commission not

	<p>(Rs.44900-142400) of the pay matrix and successfully undergone three weeks mandatory training, for which training program to be prepared and imparted by the NCB or at another institute approved by NCB.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>(1) Deputy Director General (Headquarters), Narcotics Control Bureau - Chairman;</p> <p>(2) Deputy Director (Operations), Narcotics Control Bureau -Member; and</p> <p>(3) Deputy Secretary (Security) or Director (Security) Internal Security-II Division, MHA -Member.</p>	<p>necessary.</p>
--	--	--	-------------------

[F. No. I-12014/52/2017-NCB-II]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.